छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वादश सत्र अंक-01

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 2017

(श्रावण 10, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जितेन्द्र विजय बहादुर सिंह एवं दिनांक 10 जुलाई, 2017 को कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मृतकजनों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण किया जा रहा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा बुरकापाल में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि का उल्लेख किये जाने की मांग की।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री धनेन्द्र साहू, डॉ. सनम जांगड़े-सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.25 बजे स्थगित होकर
11.30 बजे पुन: प्रारंभ हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि बुरकापाल नक्सली हमले में शहीद जवानों को इस सदन द्वारा पूर्व में 28 अप्रैल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि एक दिन पूर्व कार्यसूची जारी हो जाती है और यदि उन्हें आभास हो कि कुछ विषय कार्यसूची में छूट गया है तो बैठक आरंभ होने के पूर्व मेरा ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे, ऐसा विश्वास है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने निधन के उल्लेख के दौरान जो आरोपात्मक कथन किया है वह विलोपित किया जावे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि निधन उल्लेख में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिये क्योंकि हम सबकी संवेदना एक साथ संबंधितों को जाती है, इसलिए अगर उन्होंने इस प्रकार के कोई शब्दों का उपयोग किया हो, जिसमें आक्षेप हो, तो उसको विलोपित कर दिया जाए।

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा किसानों द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं कथन किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की एक विशिष्ट परम्परा रही है कि प्रश्नकाल को निर्बाध गति से चलने दिया जाता है। प्रश्नकाल के बाद आपका जो भी विषय है, उसके बारे में विचार किया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्नकाल के पश्चात् अपनी बात रख सकते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि आज दूरदर्शन से निवेदन करके प्रश्नकाल को लाईव दिखाने का अनुरोध किया गया है जिसे मान्य किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य प्रश्नकाल के बाद अपनी बात उठा सकते हैं।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को आश्वस्त किया कि प्रश्नकाल के बाद इस विषय को लेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न हेतु श्री मोहन मरकाम, सदस्य का नाम पुकारा। माननीय सदस्य द्वारा व्यवधान के कारण प्रश्न नहीं पूछा जा सका।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.44 बजे स्थगित होकर 11.54 बजे पुन: समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

माननीय सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा करायेंगे।

4. फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र में पारित सभी 8 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

8. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी 29 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने तत्काल चर्चा कराये जाने का आग्रह किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य कार्य किये जायें उसके बाद स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की जाये।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि आसंदी का जैसा निर्देश होगा शासन चर्चा के लिए तैयार है।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा विषय की महत्ता एवं प्रतिपक्ष के आग्रह को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर तत्काल चर्चा कराये जाने की अनुमति दी गई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री (जारी)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया कि मान. संसदीय कार्य मंत्री को अपने कथन के लिए खेद व्यक्त करना चाहिये।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल एवं श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने भी मान. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा खेद व्यक्त करने संबंधी कथन किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जो भी इस प्रकार की बात कही गई है वह विलोपित कर दी गई है।

मान. संसदीय कार्य मंत्री ने अपने शब्द वापस लिए।

श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव चंद्रा, धनेन्द्र साहू, शिवरतन शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 58 (1) में यह प्रावधान है कि जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो उससे दो घंटे बीत जाने पर वह स्वत: समाप्त हो जायेगी, किन्तु विषय की गंभीरता और विषय पर बोलने वाले सदस्यों की भावना को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।)

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने चर्चा के दौरान आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणी किये जाने पर खेद व्यक्त किया।

सर्वश्री अमरजीत भगत, श्याम बिहारी जायसवाल, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण-11, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा